

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी वन मंडल कांकेर

Phone - 07868222006 (C), 222173 (Fax), 222171 (Fax), Email: dfo@kankar.com

क्रमांक/मा.चि./2023/..... 6767

04 OCT 2023 दिनांक 04/10/2023

प्रति

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास शाखा,कांकेर
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

शाखा प्र.अ. कांकेर-छ.ग.
अधीक्षक अपर कलेक्टर

विषय :-

Diversion of 6.66 Ha. Forest Land In Favour Tribal Development Kanker For Establishment Of Eklavya Modern Residential School, Under Forest Conservation Act, 1980 At Village-Anjani, Tehsil-Kanker, District-North Bastar Kanker In The State Of Chhattisgarh-Reg.
ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक/FP/CG/SCII/153246/2022

संदर्भ :-

01. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरंय भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19 नवारायपुर, अटल नगर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/FC-II/ROCH-13/2022/954/Date 03.10.2022
02. भू. व. सं., कांकेर वृत्त कांकेर का कार्या. पत्र क्र. /मा.चि./2023/2477/कांकेर, दिनांक 29.03.2023 क्रमांक/मा.चि./2023/6670/कांकेर, दिनांक 04.09.2023
03. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/1147/कांकेर, दिनांक 09.02.2023 एवं क्रमांक/मा.चि./2023/2682/कांकेर, दिनांक 13.04.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर का कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/4922/कांकेर, दिनांक 22.06.2023 एवं क्रमांक/मा.चि./2023/4604/दिनांक 03.07.2023 एवं क्रमांक/मा.चि./2023/6304/कांकेर, दिनांक 04.09.2023
04. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. का कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विधि/115-20/1918/रायपुर, दिनांक 11.08.2023

कार्यालय कलेक्टर
(आदिवासी विकास)
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

10 OCT 2023

शाखा
अधीक्षक
आदिवासी विकास कांकेर

— 00 —

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2022/10171/कांकेर, दि. 15.11.2022 एवं क्रमांक/मा.चि./2022/11015/कांकेर, दिनांक 23.12.2022 के द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) को प्रकरण के पालन प्रतिवेदन में भारत सरकार द्वारा दिनांक 03.10.2022 को प्रथम चरण की 23 बिन्दुओं पर अधिरोपित शर्तों के तहत स्वीकृति जारी की गई है।

समस्त अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन पृथक-पृथक अविलंब इस कार्यालय को प्रस्तुत करने बाबत लेख किया गया था, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

01. स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक-III के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण वर्तमान दर की राशि

प्रति हेक्टेयर के दर से राशि रुपये 9,66,666/-

$9,66,666 \times 6.66 = 6437996.00$

(चौंसठ लाख सैंतीस हजार नौ सौ छियानबे रुपये मात्र)

02. शर्त क्रमांक-IV में प्रत्याशा मूल्य की राशि खुला वन ECO CLASS-III के अनुसार निर्धारित राशि

प्रति हेक्टेयर के दर से राशि रुपये 957780/-

$957780 \times 6.66 = 6378815.00$

(त्रिसठ लाख अठ्तर हजार आठ सौ पन्द्राह रुपये मात्र)

अतः शर्त क्रमांक - III (A) की कुल राशि रुपये = 6437996.00

एवं शर्त क्रमांक - IV (A) ECO CLASS-III की कुल राशि रुपये = 6378815.00

कुल राशि योग = 12816811.00

(एक करोड़ अठ्ठाईस लाख सोलह हजार आठ सौ ग्यारह रुपये मात्र)

उक्त राशि ऑन लाईन ई-चालान जनरेट कर कैम्पा खाता में अब तक जमा नहीं कराई गई है।

अतः उक्त राशि कैम्पा मद में जमा कराते हुए चालान की मूल प्रति से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें। प्रकरण शासन स्तर का सर्वेच्च प्राथमिकता में है। साथ ही प्रकरण के संबंध में बिंदुवार पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में वरिष्ठ कार्या. से बारंबार स्मरण पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

वन मंडलाधिकारी
कांकेर वन मंडल कांकेर
कांकेर, दिनांक 04/10/2023

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2023/..... 6768

प्रतिलिपि :-

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

वन मंडलाधिकारी
कांकेर वन मंडल कांकेर

"गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" (859)